अनुदान संख्या 61 – श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 61 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*2,00*	..	*-2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	4634,42,00	4634,46,00	3826,56,43	-807,89,57
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				562,90,14
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	8,19,00	8,20,00	6,64,42	-1,55,58
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				70,86

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम तथा रोजगार" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2230" – "Labour and Employment".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	3367.00	3299.00	3251.96	– 47.04
पु.	R.	– 68.00			
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	415411.00			
पू.	S.	3.00	387822.62	367900.96	– 19921.66
पु.	R.	– 27591.38			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	25886.00	1500.66	..	– 1500.66
पु.	R.	– 24385.34			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants–in–aid to State Governments				
मू.	O.	17410.00			
पू.	S.	1.00	13389.88	10396.12	– 2993.76
पु.	R.	– 4021.12			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants in aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	300.00	7.50	6.90	– 0.60
पु.	R.	– 292.50			

(I) ₹26452.55 लाख का प्रावधान बाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹26025.00 लाख

(I) Provision of ₹26452.55 lakhs remained wholly unutilized under twenty two heads; of these

निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2230" - "रोजगार" -

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - रोजगार कार्यालय" - ₹300.00 लाख; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - रोजगार कार्यालय" - ₹150.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान रोजगार कार्यालय मिशन मोड परियोजना शुरू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "रोजगार सेवाएं - अनुसंधान, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - रोजगार कार्यालय" - ₹200.00 लाख राज्य सरकारों से अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण थे।

(ख) "श्रम - बाल/महिला श्रमिकों की कार्य की स्थितियों में सुधार - बाल श्रमिक प्रकोष्ठ" - ₹1500.00 लाख;

(ग) "श्रमिक - शिक्षा" -

(i) "केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को अनुदान" - ₹200.00 लाख;

(ii) "वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को अनुदान" - ₹166.00 लाख;

(घ) "प्रशिक्षण - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें" - ₹10827.00 लाख;

₹26025.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2230" - "Employment" –

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Employment Exchanges" – ₹300.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub Plan – Employment Exchanges" – ₹150.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-initiation of Employment Exchange Mission Mode Project.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Employment Services – Research, Survey and Statistics - Employment Exchanges" – ₹200.00 lakhs – due to receipt of incomplete proposals and delay in receipt of utilization certificates from the State Governments.

(b) "Labour – Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell" – ₹1500.00 lakhs;

(c) "Labour – Education" –

(i) "Grants to Central Board for Worker's Education" – ₹200.00 lakhs;

(ii) "Grants to V.V.Giri National Labour Institute" – ₹166.00 lakhs;

(d) "Training – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – ₹10827.00 lakhs;

(ङ) "श्रम - कार्य की स्थितियां और सुरक्षा" -

(i) "कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय की योजना स्कीमें" - ₹230.00 लाख;

(ii) "खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें" - ₹266.00 लाख; और

(च) "श्रम - श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" -

(i) "असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा स्कीम" - ₹11000.00 लाख।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "सड़क पर सामान विक्रेताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार" - ₹263.00 लाख;

(iii) "बीड़ी कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार" - ₹625.00 लाख; और

(iv) "घरेलू कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार" - ₹298.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अभी शुरू की जाने वाली स्कीम के अंतर्गत वास्तविक लाभार्थियों का नामांकन किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - श्रम मंत्रालय" के अंतर्गत ₹115.04 लाख की बचत (₹3367.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कारों का

(e) "Labour – Working Conditions and Safety"–

(i) "Plan Schemes of Directorate General of Factory Advice Services (D.G.F.A.S.L.I)" - ₹230.00 lakhs;

(ii) "Plan Schemes of the Directorate General of Mines Safety (D.G.M.S.)" – ₹266.00 lakhs; and

(f) "Labour – Social Security for Labour" –

(i) "Social Security for Unorganized sector workers Scheme" – ₹11000.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "Extension of RSBY to Street vendors" – ₹263.00 lakhs;

(iii) "Extension of RSBY to Beedi Workers" – ₹625.00 lakhs; and

(iv) "Extension of RSYB to Domestic Workers" – ₹298.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to enrollment of actual beneficiaries under the scheme is yet to be taken up.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Labour" – saving of ₹115.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3367.00

आयोजन न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "श्रम" -

(क) "अनुसंधान और सांख्यिकी - अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें" - ₹1354.91 लाख की बचत (₹3235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तृतीय रोजगार/बेरोजगार सर्वेक्षण के देर से शुरू किए जाने और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक कामगार संख्या की आधार वर्ष अद्यतनीकरण स्कीम के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "औद्योगिक संबंध - मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का सुदृढ़ीकरण" - ₹174.00 लाख की बचत (₹918.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, सरकारी दौरे कम किए जाने और विद्युत/टेलीफोन/जल प्रभारों के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "कार्य की स्थितियां और सुरक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण" - ₹101.53 लाख की बचत (₹1062.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, सरकारी दौरे/संगोष्ठियां कम होने, बम्बई नगर निगम से बिलों के प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घ) "बीड़ी कामगार कल्याण निधि" -

(i) "शिक्षा" - ₹935.70 लाख की बचत (₹8573.95 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

lakhs) was due to non-holding of Prime Minister's Shram Awards and economy measures.

(III) Under Major Head "2230" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Labour" –

(a) "Research and Statistics – Plan Schemes under Research and Statistics" – saving of ₹1354.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3235.00 lakhs) was due to delayed start of 3rd Employment/unemployment survey and non-receipt of sanction for the base year updation scheme of Consumer Price Index – Industrial Workers numbers and less tours undertaken.

(b) "Industrial Relations – Strengthening of Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Labour Commissioners" – saving of ₹174.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹918.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less official tours and non-receipt of electric/telephone/water charges bills.

(c) "Working Conditions and Safety – Research and Training" – saving of ₹101.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1062.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less official tours/seminars, non-receipt of bills from Bombay Municipal Corporation and economy measures.

(d) "Beedi Workers Welfare Fund" –

(i) "Education" – saving of ₹935.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8573.95 lakhs);

(ii) "संशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2005" - ₹902.60 लाख की बचत (₹5215.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" -

(i) "असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन सुरक्षा स्कीम" - ₹125.00 लाख की बचत (₹1425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुईं।

(ii) "असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा स्कीम" - ₹7518.23 लाख की बचत (₹76670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और दौरों, विज्ञापनों, विधिक/वृत्तिक दावों और स्कीमों पर केंद्रीय क्षेत्र के भाग के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(च) "बाल/महिला श्रमिकों के कार्य की स्थितियों में सुधार - बाल श्रमिक प्रकोष्ठ" - ₹178.72 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने, उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति में विलम्ब होने और विज्ञापन कम दिए जाने के कारण हुई।

(छ) "शिक्षा" -

(i) "वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को अनुदान" - ₹602.00 लाख की बचत (₹1417.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खनन उत्पादों के प्राप्त न होने और संस्थान परिसर का नवीकरण स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Revised Integrated Housing Scheme, 2005" – saving of ₹902.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5215.00 lakhs); and

(e) "Social Security for Labour" –

(i) "Family Pension – cum – Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" – saving of ₹125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1425.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Social Security for Unorganized sector workers Scheme" – saving of ₹7518.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76670.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards tours, advertisements, legal/professional claims and central sector share on schemes.

(f) "Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell" – saving of ₹178.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals, delay in receipt of utilization certificates and less advertisements.

(g) "Education" –

(i) "Grants to V.V. Giri National Labour Institute" – saving of ₹602.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1417.00 lakhs) was due to non-receipt of quarry products and postponement of renovation of the Institute Campus.

(ii) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" - ₹384.00 लाख की बचत (₹512.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act" – saving of ₹384.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹512.00 lakhs); and

(ज) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"-

(h) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "बाल श्रमिक प्रकोष्ठ" - ₹222.67 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) "Child Labour Cell" – saving of ₹222.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अपूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of incomplete proposals and delay in receipt of utilization certificates from the State Governments.

(ii) "असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा स्कीम" - ₹1591.00 लाख की बचत (₹24200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "Social Security for Unorganized sector workers Scheme" – saving of ₹1591.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24200.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals.

(iii) "केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान" - ₹203.22 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) "Grants to Central Board for Worker's Education" – saving of ₹203.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs); and

(झ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(i) "Tribal Area Sub Plan" –

(i) "केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान" - ₹104.50 लाख की बचत (₹209.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) "Grants to Central Board for Worker's Education" – saving of ₹104.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹209.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(ii) "असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा स्कीम" - ₹490.00 लाख की बचत (₹8800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपूर्ण

(ii) "Social Security for Unorganized sector workers Scheme" – saving of ₹490.00 lakhs (against the sanctioned

प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "बाल श्रमिक प्रकोष्ठ" - ₹297.30 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अपूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण हुई।

(छ) "अन्य व्यय - अन्य मदें" - ₹143.72 लाख की बचत (₹174.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगोष्ठियां और कार्यशालाएं कम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(खा) "रोजगार - रोजगार सेवाएं - रोजगार कार्यालय" - ₹1361.91 लाख की बचत (₹1366.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अपूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण हुई।

(गा) "प्रशिक्षण" -

(क) "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन" - ₹133.20 लाख बचत (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹301.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(i) "महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" - ₹237.44 लाख की बचत (₹796.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और घरेलू

provision of ₹8800.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals.

(iii) "Child Labour Cell" – saving of ₹297.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals and delay in receipt of utilization certificates from the State Governments.

(j) "Other Expenditure – Other Items" – saving of ₹143.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹174.00 lakhs) was due to holding of less seminars and workshops.

(B) "Employment – Employment Services – Employment Exchanges" – saving of ₹1361.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1366.20 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals and delay in receipt of utilization certificates from the State Governments.

(C) "Training" –

(a) "Industrial Training Institutes (I.T.I.) – Upgradation of 1396 Govt. I.T.Is through Public Private Partnership" – saving of ₹133.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹301.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) was due to postponement of training programmes abroad.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "Vocational Training Programme for Women" – saving of ₹237.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹796.00 lakhs) was due to non-filling

यात्राओं एवं विधिक प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

up of vacant posts and requirement of less funds towards domestic travels and legal charges.

(ii) "व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाएं" - ₹461.58 लाख की बचत (₹807.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण हुई।

(ii) "Vocational Training Projects" – saving of ₹461.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹807.00 lakhs) was due to delay in implementation of schemes.

(iii) "केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और समुन्नति के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना" - ₹115.00 लाख की बचत (₹191.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधिक/वृत्तिक बिलों, सरकारी दौरों, बैठकों/सम्मेलनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(iii) "Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central and State Governments" – saving of ₹115.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹191.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards legal/professional bills, officials tours, meetings/ conferences and delay in submission of utilization certificates by the State Governments.

(iv) "कौशल विकास की पहल" - ₹1741.50 लाख की बचत (₹5636.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iv) "Skill Development Initiative" – saving of ₹1741.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5636.00 lakhs); and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(c) "Tribal Area Sub Plan" –

(i) "कौशल विकास की पहल" - ₹1251.25 लाख की बचत (₹3143.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) "Skill Development Initiative" – saving of ₹1251.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3143.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से अपूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of incomplete proposals and delay in receipt of utilization certificates from the State Governments.

(ii) "महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" - ₹171.35 लाख की बचत (₹403.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, सरकारी दौरों,

(ii) "Vocational Training Programme for Women" – saving of ₹171.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹403.00 lakhs) was due to non-filling

चिकित्सा दावों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमान देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाएं" - ₹145.41 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण हुई।

(घ) "अन्य व्यय" -

(i) "केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और समुन्नति के लिए बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना" - ₹366.22 लाख की बचत (₹915.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधिक/वृत्तिक बिलों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "कौशल विकास की पहल" - ₹29181.32 लाख की बचत (₹54121.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें" - ₹1718.57 लाख की बचत (₹7647.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - प्रशिक्षण - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण" - ₹2053.55 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4246.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

up of vacant posts, requirement of less funds towards official tours, medical claims and late receipt of estimates from Central Public Works Department.

(iii) "Vocational Training Projects" – saving of ₹145.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to delay in implementation of schemes.

(d) "Other Expenditure" –

(i) "Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central and State Governments" – saving of ₹366.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹915.00 lakhs) was due to receipt of less legal/professional bills.

(ii) "Skill Development Initiative" – saving of ₹29181.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54121.00 lakhs);

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – saving of ₹1718.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7647.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Training – Training of Craftsmen and Supervisors" – saving of ₹2053.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4246.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013);

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - प्रशिक्षण - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण" - ₹2984.66 लाख की बचत (₹4941.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Tribal Area Sub Plan – Training – Training of Craftsmen and Supervisors" – saving of ₹2984.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4941.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और समुन्नति के लिए बाहय सहायताप्राप्त परियोजना" के अंतर्गत ₹222.20 लाख की बचत (₹228.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head "3602" – Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training– Industrial Training Institute – Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central and State Governments" – saving of ₹222.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹228.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से अपूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण हुई।

Savings under the above five heads were due to receipt of incomplete proposals and delay in receipt of utilization certificates from the State Governments.

(VI) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹712.68 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under ten heads savings of ₹712.68 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 11 percent to 81 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1951.08 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम - शिक्षा - केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान" के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1496.56 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹1951.08 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 under Major Head "2230" – "Labour – Education – Grants to Central Board for Worker's Education". Actual excess, however, was ₹1496.56 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2230" - under the following heads:-

(का) "श्रम" -

(A) "Labour" –

(क) "औद्योगिक संबंध – मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त" – ₹301.99 लाख का अधिक व्यय (₹3525.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय श्रम सेवा अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किए जाने, मजदूरी की दर

(a) "Industrial Relations – Chief Labour Commissioners (Central) and Regional Labour Commissioners" – excess of ₹301.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3525.00 lakhs) was due to

और अधिवक्ता शुल्कों में बढ़ोतरी होने और चिकित्सा दावे अधिक होने के कारण हुआ।

(ख) "कार्य की स्थितियां और सुरक्षा" -

(i) "खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें" - ₹132.09 लाख का अधिक व्यय (₹895.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "खान सुरक्षा महानिदेशक (मुख्य)" - ₹351.81 लाख का अधिक व्यय (₹3304.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों और अन्य स्थापना संबंधी व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) "बीड़ी कामगार कल्याण निधि - स्वास्थ्य" - ₹483.61 लाख का अधिक व्यय (₹7012.81 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए औषधालय और अस्पताल खोले जाने और वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भारत का अंशदान" - ₹142.51 लाख का अधिक व्यय (₹983.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को वार्षिक अंशदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "प्रशिक्षण"-

grant of non-functional upgradation to Central Labour Service officers, increased wage rate, advocate fees and more medical claims.

(b) "Working Conditions and Safety" –

(i) "Plan Schemes of Directorate General of Mines Safety (D.G.M.S)" – excess of ₹132.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹895.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Director General of Mines Safety (Main)"– excess of ₹351.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3304.25 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances and other establishment related expenses.

(c) "Beedi Workers Welfare Fund – Health" – excess of ₹483.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7012.81 lakhs) was due to opening of new dispensaries and hospitals and requirement of additional funds towards arrear of pay and allowances.

(d) "International Co-operation – India's Contribution to the I.L.O" – excess of ₹142.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹983.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards annual contribution to International Labour Organisation.

(B) "Training" –

(क) "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" - ₹117.02 लाख का अधिक व्यय (₹82.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय - विश्व बैंक की सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना" - ₹948.54 लाख का अधिक व्यय (₹1467.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और तत्काल स्वरूप के प्रश्न पत्रों का मुद्रण किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹81.98 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत था।

4. *अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

वर्ष 2012-2013 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

5. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-

(a) "Industrial Training Institutes (I.T.I.) – Model Industrial Training Institutes/Setting up of 4 Model Industrial Training Institutes (M.I.T.I"s)" – excess of ₹117.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹82.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances.

(b) "Other Expenditure – World Bank Assisted Vocational Training Project" – excess of ₹948.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1467.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and printing of urgent question papers.

(III) Under one head excess of ₹81.98 lakhs occurred constituting of 20 percent of the sanctioned provision.

4. *Mica Mines Labour Welfare Fund:-*

The Fund was constituted for financing measures for promotion of Welfare of Labour employed in Mica Mines. Custom duties levied on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

The Account of the Fund for 2012 – 2013 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	6,61,28
प्राप्तियां	Receipts	2,15,00
अदायगियां	Payments	2,07,55
अंतशेष	Closing Balance	6,68,73

5. Iron Ore Mines, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfar Fund:-

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिकों की जीवन-यापन स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर, 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

वर्ष 2012-2013 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 which came into force with effect from 1St September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for Welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

The Account of the Fund for 2012 – 2013 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	164,19,80
प्राप्तियां	Receipts	13,58,04
अदायगियां	Payments	12,42,36
अंतशेष	Closing Balance	165,35,48

6. बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

वर्ष 2012-2013 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

6. Beedi Workers Welfare Fund: -

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from Ist January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2012 – 2013 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	– 205,74,93
प्राप्तियां	Receipts	164,93,71
अदायगियां	Payments	159,64,79
अंतशेष	Closing Balance	-200,46,01

7. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि:-

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है जो कि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

वर्ष 2012-2013 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

7. Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund: -

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed there under, which provides for levy and collection of Cess on Limestone and Dolomite produced in any mines, is sold or otherwise disposed off to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

The Account of the Fund for 2012 – 2013 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	58,21,72
प्राप्तियां	Receipts	13,05,80
अदायगियां	Payments	12,05,83
अंतशेष	Closing Balance	59,21,69

8. सिनेमा कामगार कल्याण निधि:-

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

8. Cine Workers Welfare Fund: -

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

वर्ष 2012-2013 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2012 – 2013 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1,20,33
प्राप्तियां	Receipts	1,63,38
अदायगियां	Payments	1,47,70
अंतशेष	Closing Balance	1,36,01